छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/14वें वित्त/पंचा./पंग्राविवि/2018/110 नया रायपुर, दिनांक 27/08/2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
   छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत– छत्तीसगढ़

विषय :– ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2019–20 के निर्माण हेतु Facilitator की नियुक्ति।

संदर्भ :– भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का पत्र क्रमांक K-14016/02/2018-PC दिनांक 13.08.2018

——00——

ग्राम पंचायतों की वर्ष 2019–20 की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण हेतु विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जानी है जिसमें प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार है :–

1- ग्राम पंचायत में संचालित सभी योजनाओं तथा उपलब्ध राशि की ग्राम पंचायत सूचना पटल के माध्यम से जानकारी देना।
2- 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2018 तक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण हेतु ग्राम सभा –जिसमें शेड्यूल 11 में सम्मिलित सभी 29 क्षेत्र से संबंधित अधिकारी/पर्यवेक्षक उपस्थित रहकर अपनी जानकारी देंगे।
3- प्लान प्लस एवं अन्य साफ्टवेयर/एप का व्यापक प्रयोग।
4- ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में कार्ययोजना निर्माण, निरीक्षण, क्रियान्वयन, संसाधनों का संकलन, अधोसंरचना विकास, मानव संसाधन विकास, आर्थिक गतिविधियां आदि गतिविधियां सम्मिलित होगी।
5- क्रियान्वयन में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना है जिसके लिये सामुदायिक मोबिलाईजेशन, सामाजिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, जन सूचना, सूचना तकनीकी/डी.बी.टी./जियो–टेगिंग, एप, रिसर्च/मुल्यांकन/मॉनिटरिंग का व्यापक प्रयोग किया जावेगा।
6- यह कार्य केन्द्र एवं राज्य शासन के सभी मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से किया जावेगा।

उक्त कार्य के लिये निम्नानुसार समय–सीमा निर्धारित की गई है :–

क्र	समय–सीमा	दिनांक
1	सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, सचिवों (पीआर और आरडी) को पत्र	13 अगस्त 2018
2	प्लान प्लस में डाटा एन्ट्री	30 अगस्त 2018
3	ईएफएमएस/पीएफएमएस/प्रिया साफ्ट/जियो –टैगिंग	30 सितम्बर 2018
4	पंचायत त्रैमासिक पत्रिका भेजा जाना	25 अगस्त 2018

Scanned by CamScanner

5	पीआरआई / एसएचजी के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल	30 अगस्त 2018
6	Facilitators के लिये ट्रेनिंग सामाग्री तैयार किया जाना	30 अगस्त 2018
7	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए Facilitators की नियुक्तियां	10 सितम्बर 2018
8	ग्राम सभावार कार्यक्रमों का कैलेंडर को अपलोड करना	10 सितम्बर 2018
9	ग्राम सभा बैठक कार्यक्रम में अंतिम रूप दिया जना	30 अगस्त 2018
10	प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सभी कार्यक्रमों का सार्वजनिक सूचना बोर्ड स्थापित करना	15 सितम्बर 2018
11	ग्राम सभा बैठक के लिए आदेश जारी किया जाना	15 सितम्बर 2018

जैसा कि स्पष्ट है कि वर्ष 2019–20 की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण एक विस्तृत गतिविधि होगी जिसमें सभी 29 क्षेत्र / विभाग के अधिकारी / कर्मचारी की भागीदारी होगी। इस पूरी प्रक्रिया की व्यापक ऑनलाईन एवं ऑफलाईन मॉनिटरिंग होगी। इस कार्य में Facilitator की मुख्य भूमिका होगी। Facilitators का मुख्यतः तीन कार्य होगा :–

1- अंत्योदय सर्वे प्रपत्र भरना।
2- सभी विभागो से समन्वय कर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण करना।
3- सभी जानकारियों एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण को ऑनलाईन करना।

अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये पृथक–पृथक Facilitator नियुक्त किया जावे। इसके लिये अगर अत्यावश्यक न हो तो सचिव ग्राम पंचायत को ही Facilitator बनाया जावे। कार्य व्यापक है अतः योग्य अधिकारी को ही ग्राम पंचायतवार Facilitator नियुक्त करें तथा आदेश की प्रति एक सप्ताह में पंचायत संचानलालय में प्रेषित करें। जिससे पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार को सूचित किया जा सके।

27/08/18

(पी.सी. मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक / 14वें वित्त / पंचा. / पंग्राविवि / 2018 / 111 नया रायपुर, दिनांक 27 / 08 / 2018

प्रतिलिपि :–

1- संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर को सूचनार्थ।
2- समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
3- समस्त उप संचालक, पंचायत जिला कार्यालय छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
4- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned by CamScanner